प्रेस–विज्ञप्ति

राजस्व विभाग उ0प्र0

लेखपाल भर्ती परीक्षा–2015

जनपद का नाम– फतेहपुर **परीक्षा का नाम– लेखपाल राजस्व**

विज्ञापन संख्या–1557/भूलेख/2015 दिनांकः02–7–2015

आवेदन पत्र स्वीकार (SUBMIT) किए जाने की अन्तिम तिथि– 22 जुलाई, 2015
परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि– 21 जुलाई, 2015

प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा लेखपाल के पद पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से निर्धारित प्रारूप पर आन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। लिखित परीक्षा दिनांक 30–8–2015 को किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा के समय तथा स्थल का उल्लेख प्रवेश पत्र पर उल्लिखित रहेगा, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा आन लाइन प्राप्त किया जा सकता है।

रिक्तियों का विवरण

क्र0	पदनाम	दिनांक 01.07.2015 को आयु	वेतनमान	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य जाति	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य पिछडी जाति	पद हेतु शैक्षिक अर्हता	पद हेतु अधिमानी अर्हता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लेखपाल	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष	रू0 5200–20200 (ग्रेड पे 2000)	97	59	14	02	22	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की इण्टर मीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण	1– प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या 2–राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो

1– लेखपाल पदों की भर्ती उ0प्र0 लेखपाल सेवा नियमावली 2006 यथा संशोधित 2014 एवं समय समय पर जारी किए गये शासनादेश एवं परिषदादेश के अनुसार लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का होगा।

2– दिनांक 01.07.2015 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है साथ ही उक्त दिनांक को अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक न हो। आयु सीमा के सम्बन्ध में उ0प्र0 सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली–1972 यथा संशोधित 2012 एवं वर्तमान में प्रभावी नियमों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार छूट प्रदान की जायेगी। रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों, उ0प्र0 समाज के विकलांगों तथा उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियॉ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

3– आन–लाइन फार्म दिनांक **22.07.2015** तक जमा किए जा सकेंगे। अनारक्षित (सामान्य) और पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों से रू0 300/– (+ बैंक प्रभार अतिरिक्त) तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को रू0 150/– (+ बैंक प्रभार अतिरिक्त) का आवेदन शुल्क ई–चालान के माध्यम से जिलाधिकारी के पक्ष में देय होगा, जिसका उल्लेख आन–लाइन आवेदन प्रपत्र पर किया जायेगा।

4– प्रदेश के सभी जनपदों में परिषद द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं होगा।

5– परीक्षा वस्तुनिष्ठ 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का होगा। परीक्षा सम्बन्धी जानकारी के सम्बन्ध में तिथि, समय और परीक्षा एवं साक्षात्कार के आयोजन स्थल उम्मीदवारों को ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा डाउनलोड किया जायेगा, जो कि परिषद की बेबसाइट http://bor.up.nic.in और जिले की बेबसाइट fatehpur.nic.in पर उपलब्ध होगा।

6– आन लाइन आवेदन का प्रारूप, आफलाइन परीक्षा सम्बन्धी निर्देश अन्य सामान्य निर्देश एवं परीक्षा सम्बन्धी अन्य प्रासंगिक जानकारी व सम्पूर्ण विवरण परिषद के बेबसाइट http://bor.up.nic.in पर और जिले की बेबसाइट fatehpur.nic.in पर उपलब्ध होगा।

7– लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 18.06.2015 व 27.06.2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क/ फार्म स्वीकार **(SUBMIT) किए जा चुके है उन अभ्यर्थियों द्वारा पुनः परीक्षा शुल्क/ फार्म नहीं भरे जायेगे। उनका अभ्यर्थन इस नयी विज्ञप्ति के लिए भी मान्य होगा।**

(पुष्पा सिंह)
अध्यक्ष चयन समिति/ जिलाधिकारी
फतेहपुर

कार्यालय जिलाधिकारी फतेहपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–4 लखनऊ।

2– आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद।

3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी फतेहपुर को इस आशय से कि विज्ञप्ति को जिले की बेबसाइट में लोड कर दें।

4– सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र '' **दैनिक जागरण**'' व ''**अमर उजाला**'' को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रेस–विज्ञप्ति को समाचार पत्र में तत्काल प्रकाशित कराकर प्रकाशित प्रति सहित बिल बाउचर्स जिला सूचना अधिकारी फतेहपुर से सत्यापित कराकर कार्यालय को उपलब्ध करावें।

5– तहसीलदार फतेहपुर/खागा/बिन्दकी व नाजिर सदर कलेक्ट्रेट फतेहपुर को इस आशय से कि प्रेस–विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड में चस्पा करावें।

(पुष्पा सिंह)
अध्यक्ष चयन समिति/ जिलाधिकारी
फतेहपुर